

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

पत्रांक:-04/कृ0के0यो0-08/2016

111

राँची/दिनांक: 30-09-19

प्रेषक,

पूजा सिंघल,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

अनौपचारिक तौर
पर परामर्शित

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय: वर्तमान वर्ष 2019-20 में केन्द्र प्रायोजित नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी योजनान्तर्गत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन उपयोजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रांश रु. 3138.1305 लाख एवं राज्यांश रु. 2344.6070 लाख कुल रु. 5482.7375 लाख (चौवन करोड़ बयासी लाख तिहत्तर हजार सात सौ पचास रुपये) मात्र की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-F.No. 9-2/2018-AE दिनांक-11.04.2019 के द्वारा केन्द्र प्रायोजित नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी योजनान्तर्गत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन उपयोजना के कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देश के आलोक में झारखण्ड राज्य हेतु रु. 5482.7375 लाख के राज्य प्रसार कार्य योजना (SEWP) पर राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की दिनांक-29.07.2019 को सम्पन्न बैठक में स्वीकृति प्रदान की गयी है। भारत सरकार के पत्रांक-F.No. 36-7/2017-AE/Extn. Desk दिनांक-28.08.2019 के द्वारा प्रथम किस्त स्वरूप कुल रु. 1233.00 लाख केन्द्रांश विमुक्त किया गया है।

उपरोक्त के आलोक में वर्तमान वर्ष 2019-20 में केन्द्र प्रायोजित नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी योजनान्तर्गत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (SMAE) उपयोजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रांश रु. 3138.1305 लाख एवं राज्यांश रु. 2344.6070 लाख कुल रु. 5482.7375 लाख (चौवन करोड़ बयासी लाख तिहत्तर हजार सात सौ पचास रुपये) मात्र की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। योजना मार्गदर्शिका में निहित प्रावधान के आलोक में योजना कार्यान्वयन हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 (कृषक मित्र हेतु 50:50) है (संक्षिप्त विवरणी निम्नवत) :-

(राशि लाख रु. में)

क्र.	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत राज्य प्रसार कार्य योजना	केन्द्रांश (प्रतिशत में)	राज्यांश (प्रतिशत में)
1.	2019-20	5482.7375	2380.5705 (60%)	1587.0470 (40%)
			757.5600 (50%)	757.5600 (50%)
	कुल	5482.7375	3138.1305	2344.6070

६

Handwritten signature

2. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्न बजटीय शीर्षान्तर्गत उपबंधित राशि से की जायेगी - (रु० लाख में)

क्र०	बजटशीर्ष	स्वीकृत राशि
1	मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि-कर्म, लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना, उपशीर्ष-99-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीक, विस्तृतशीर्ष-06-अनुदान, 52-सबसिडी केन्द्रांश (01C240100796990652) 52-सबसिडी राज्यांश (01S240100796990652)	1569.06525 1172.30350
2	मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि-कर्म, लघुशीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों का प्रशिक्षण, उपशीर्ष-99-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीक, विस्तृतशीर्ष-06-अनुदान, 52-सबसिडी केन्द्रांश (01C240100109990652) 52-सबसिडी राज्यांश (01S240100109990652)	941.43915 703.38210
3	मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि-कर्म, लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-99-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीक, विस्तृतशीर्ष-06-अनुदान, 52-सबसिडी केन्द्रांश (01C240100789990652) 52-सबसिडी राज्यांश (01S240100789990652)	627.62610 468.92140
कुल योग		5482.73750

(चौवन करोड़ बयासी लाख तिहत्तर हजार सात सौ पचास रूपये)


3. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु राज्य स्तर पर कृषि निदेशक, झारखण्ड एवं जिला स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी-सह-जिला कृषि पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे, जो संबंधित जिलों के जिला कोषागार/उप कोषागार से राशि की निकासी करेंगे। State Nodal Cell एवं SAMETI हेतु स्वीकृत/आवंटित राशि के लिए कृषि निदेशक, झारखण्ड निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।
4. योजना का कार्यान्वयन मुख्य सचिव, झारखण्ड, रांची की अध्यक्षता में दिनांक-29.07.2019 को सम्पन्न राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) की बैठक में लिये गये निर्णय एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु स्वीकृत राज्य प्रसार कार्य योजना (SEWP) का अनुपालन करते हुए स्वीकृत जिलावार वित्तीय लक्ष्यों (संलग्न परिशिष्ट-1) के अनुसार किया जायेगा।
5. योजना का कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार का Sub Mission on Agriculture Extension (SMAE) की मार्गदर्शिका में निहित शर्तों/अनुदेशों का पालन करते हुए सुनिश्चित किया जायेगा।
6. वर्तमान वित्तीय वर्ष में विषयांकित योजना के संगत बजटशीर्ष में केन्द्रांश रु. 2100.00 लाख एवं राज्यांश रु. 1400.00 लाख इस प्रकार कुल रु. 3500.00 लाख का बजटीय उपबंध स्वीकृत है, जबकि राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा केन्द्रांश रु. 3138.1305 लाख एवं राज्यांश रु. 2344.6070 लाख कुल रु. 5482.7375 लाख की लागत पर राज्य प्रसार कार्य योजना स्वीकृत है। भारत सरकार के द्वारा विमुक्त केन्द्रांश के आलोक में वर्तमान में उपलब्ध बजटीय उपबंध के अन्तर्गत ही राशि आवंटित की जायेगी। बजटीय उपबंध से अधिक केन्द्रांश विमुक्त होने की स्थिति में अतिरिक्त केन्द्रांश/राज्यांश का प्रावधान अनुपूरक अथवा झारखण्ड आकस्मिकता निधि से किया जायेगा।

५

111
30-09-19

[Signature]

17. योजना के कार्यान्वयन में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियाँ प्रत्यायोजित करने के संबंध में निर्गत संकल्प सं०-3172 दिनांक-25.10.2012 तथा विभागीय आदेश सं०-3688 दिनांक-05.10.2015 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
18. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं०-301, दि०-11.03.2015 की कंडिका-8 के आलोक में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की दिनांक-29.07.2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
19. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
20. ~~प्रस्ताव एवं~~ स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।


विश्वासभाजन,

 30/9/19

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-04/कृ०के०यो०-08/2016 111

/कृ०, राँची, दिनांक 30-09-19

प्रतिलिपि:मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, आत्मा/सभी कोषागार पदाधिकारी/उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 30/9/19

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-04/कृ०के०यो०-08/2016 111

/कृ०, राँची, दिनांक 30-09-19

प्रतिलिपि: कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची को मूल प्रति के अलावा स्वीकृत्यादेश की प्रति उनके ई-मेल आईडी०-directoragriculturejh@gmail.com पर भेजी जा रही है तथा विभागीय वेबसाइट www.jharkhand.gov.in पर अपलोड की जा रही है।


 30/9/19

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-04/कृ०के०यो०-08/2016 111

/कृ०, राँची, दिनांक 30-09-19

प्रतिलिपि:माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/संयुक्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/निदेशक, समेति, झारखण्ड, राँची/संयुक्त कृषि निदेशक, राँची, दुमका एवं हजारीबाग/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी-सह-प्रभारी जिला कृषि पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी जिला परियोजना निदेशक, आत्मा, झारखण्ड/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाइट/योजना शाखा-4, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 30/9/19

सरकार के सचिव

६

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि यदि सदृश्य योजना या कार्य के विरुद्ध दूसरे श्रोत से राशि का व्यय किया जा रहा है या राशि मिल रही है या मिलने जा रही है तो वर्तमान स्वीकृत राशि की निकासी रोक करके इसके निराकरण हेतु वे इसकी सूचना संबंधित पदाधिकारी, कृषि निदेशक एवं विभाग को देंगे।
8. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभागीय परिपत्र-2561 दिनांक-17.04.1998, 118 दिनांक-12.01.2007 के साथ-साथ अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों/कोषागार संहिताओं का अक्षरशः अनुपालन दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित किया जाएगा।
9. योजना के कार्यान्वयन में सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का पालन किया जाएगा।
10. विमुक्त राशि के व्यय के पश्चात् राज्य नोडल पदाधिकारी, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीक, झारखण्ड, रांची एवं निदेशक, राज्य स्तरीय कृषि प्रबंधन, प्रसार-सह-प्रशिक्षण संस्थान (समेति), झारखण्ड, रांची तथा संबंधित परियोजना निदेशक, आत्मा वास्तविक व्यय की गई राशि की मद्दवार विस्तृत विवरणी तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, रांची को भेजेंगे तथा उसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।
11. महालेखाकार, झारखण्ड, रांची को उक्त स्वीकृत राशि से संबंधित अंकेक्षण का अधिकार होगा। राज्य नोडल पदाधिकारी, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीक, झारखण्ड, रांची तथा संबंधित परियोजना निदेशक, आत्मा संपूर्ण व्यय से संबंधित लेखा पंजी का संधारण करेंगे तथा विधिसम्मत अंकेक्षण करते समय अंकेक्षण दल को उपलब्ध करायेंगे।
अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति निदेशक समेति, झारखण्ड द्वारा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड रांची को उपलब्ध करायी जायेगी।
12. योजना का अनुश्रवण जिला स्तर पर परियोजना निदेशक, आत्मा/उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, आत्मा एवं राज्य स्तर पर निदेशक, समेति/राज्य नोडल पदाधिकारी, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीक, झारखण्ड, रांची के द्वारा किया जायेगा।
13. प्रत्येक माह मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा एवं इसकी ERMS Entry तथा लाभुकों का भुगतान Aadhar Seeded DBT के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।
14. लाभुकों का चयन प्रखण्ड स्तर से करने के उपरान्त प्रखण्ड तकनीकी दल, कृषक सूचना सलाहकार समिति, आत्मा प्रबंधन समिति एवं आत्मा शासकीय निकाय का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। लाभुकों की प्रत्येक कार्य अवयव की सूची पंजी में सुस्पष्ट रूप से संधारित की जायेगी तथा एक हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी निदेशक, समेति, झारखण्ड को उपलब्ध करायेंगे। लाभुकों की सूची वेबसाईट पर अपलोड की जायेगी, जिससे सर्वसाधारण को सूचना प्राप्त हो सके एवं पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे।
15. योजना के मुख्य कार्य अवयव की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी कराई जायेगी तथा सफलता की गाथाओं को संकलित किया जायेगा।
16. इस योजना का अन्य केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के साथ समन्वय एवं अभिसरण (Convergence) किया जायेगा।

६

111
30-09-19

[Signature]

वित्तीय वर्ष 2019-20 में SMAE योजना के राज्य प्रसार कार्य योजना के अन्तर्गत जिलावार वित्तीय लक्ष्य का विवरण :-

(राशि रु० लाख में)

क्रमांक	जिला	वित्तीय लक्ष्य
1	ATMA Bokaro	214.37914
2	ATMA Chatra	298.45360
3	ATMA Deoghar	267.94100
4	ATMA Dhanbad	175.20660
5	ATMA Dumka	318.77596
6	ATMA East Singhbhum	326.66270
7	ATMA Garhwa	287.20464
8	ATMA Giridih	342.55188
9	ATMA Godda	172.43222
10	ATMA Gumla	213.18536
11	ATMA Hazaribagh	338.21776
12	ATMA Jamtara	146.39297
13	ATMA Khunti	149.70086
14	ATMA Koderma	140.09328
15	ATMA Latehar	119.07586
16	ATMA Lohardaga	135.42369
17	ATMA Pakur	156.27406
18	ATMA Palamu	300.99810
19	ATMA Ramgarh	139.84008
20	ATMA Ranchi	309.56930
21	ATMA Sahibganj	175.22018
22	ATMA Saraikela	216.28262
23	ATMA Simdega	145.32264
24	ATMA West Singhbhum	305.83404
SAMETI & State Nodal Cell		87.69896
Total		5482.73750

#

111
30-09-19


सरकार के सचिव।